कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1415131 दिनांक- 23-03-2015

पत्रसं0-ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) मु0/ स0प0/14-15 / गेहूँ करापवंचन/ 3403 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 23 मार्च 2015

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- रवी विपणन वर्ष 2015-16 में प्रान्त बाहर जाने वाले गेहूँ से होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि रवी सीजन वर्ष 2015-16 प्रारम्भ हो चुका है। गत वर्ष आपको ठोस एवं सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए गेहूँ से अधिक कर संग्रहीत किये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु आप द्वारा की गयी कार्यवाही परिणाम मूलक नही पायी गयी है।

अत: गेहूँ से हो रहे करापवंचन कों रोकने की दिशा में निम्न निर्देश दिये जाते है :-

1- सीजन वर्ष 2015-16 में अपने जोन की सीमा में गेहूँ का परिवहन करने वाले वाहनों की अधिक से अधिक जॉच कराते हुए शतप्रतिशत बिलों का संग्रहण कर उनकी तत्काल आन लाइन फीडिंग करायी जाय एवं करनिर्धारण अधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2- एक्स यू0पी0 ट्रेडर्स के लिए यू0पी0 के व्यापारियों द्वारा की जा रही खरीद एवं खरीदे गये गेहूँ के मूल्य के भुगतान एवं सम्व्यवहार के परिवहन पर भी सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रवर्तन कार्य कराया जाय।

3- रेल मार्ग से परिवहित किये जा रहे गेहूँ की जॉच, मण्डियों एवं फ्लोर मिलों में आने वाले गेहूँ के सम्बन्ध में भी जॉच कराया जाना आवश्यक है जिससे गेहूँ पर होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन की रोकथाम हो सके।

अत: आपसे अपेक्षित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित करायें तथा अपने स्तर से नियमित अनुश्रवण करते हुए करापवंचन को रोकने हेतु सार्थक एवं परिणाम मूलक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए पत्र के साथ संलग्न प्रारुप-01 व 03 की सूचना मुख्यालय के सचलदल अनुभाग तथा प्रारुप-02 व 04 की सूचना वि0अनु0शा0 अनुभाग को मासिक रुप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

20/03/15
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठाकन पत्र संख्या व दि0 उक्त।

प्रतिलिपि- ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

## गेहूँ की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप 1)

**सचलदल इकाइयों एवं अधिकृत कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गेहूँ के वाहनों की जांच का विवरण:-**

जोन का नाम      माह का नाम      (धनराशि लाख रूपयें में )

| कम संख्या | चेक किये गये वाहनों की संख्या | दोषी वाहनों की संख्या | अभिग्रहीत माल का मूल्य | जमा करायी गयी जमानत [illegible] /अर्थदण्ड की धनराशि | एकत्रित किए गये बिल /9 आर/6 आर का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | संख्या | आच्छादित धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## गेहूँ की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप 2)

**जोन में स्थित करनिर्धारण अधिकारी /वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा मण्डियों की जांच का विवरण :-**

जोन का नाम      माह का नाम      (धनराशि लाख रूपयें में )

| कम संख्या | कुल मण्डियों की संख्या | मण्डी का नाम जिसकी जांच की गयी | व्यापारियों की संख्या जिनकी जांच की गयी | ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिकूल तथ्य पाये गये | अपवंचित धनराशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## गेहूँ की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप 3)

**जोन में रेल मार्ग के माध्यम से परिवहित किये जाने वाले गेहूँ की जांच का विवरण (वि0अनु0शा0/करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा :-**

जोन का नाम      माह का नाम      (धनराशि लाख रूपयें में )

| कम संख्या | रेलवे स्टेशन का नाम | व्यापारी का नाम व पता जिसके नाम रेलवे वैगन /बाक्स आवंटित हुआ | व्यापारी का नाम व पता जिसके द्वारा वास्तविक रूप से माल भेजा गया | माल की मात्रा /मूल्य | | तिथि | जांच का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मात्रा | मूल्य | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## गेहूँ की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप 4)

**जोन में स्थित फ्लोर मिलों की जाँच का विवरण(वि0अनु0शा0/करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा):-**

जोन का नाम      माह का नाम      (धनराशि लाख रूपयें में )

| कम संख्या | कुल फ्लोर मिलों की संख्या | जाँच की गयी फ्लोर मिलों की संख्या | जांच का परिणाम | | ऐसी फ्लोर मिलों की संख्या जिनकी जाँच किया जाना अवशेष है |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पाये गये प्रतिकूल मामलों की संख्या | प्रतिकूल मामलों मे निहित अपवंचित धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |